FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District CollectorTehri Garhwal

No. 493/XXIV - ALC \$12021, fanin of TEES

Dated 30.6-2021

TO WHOMWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.69 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Const Div P.W.D. Narendra Nagar for Const of Road in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Shivpuri to Jajal village(s)) in Gaja tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.69 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VII) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and oपालमें sब्लान्स्मिक District Collector)

_ & SDMI Natendra nagar

> SDM NARENDRA NAGAR

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under
FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Eva Ashish
Srivastava I.A.S District Magistrate Tehri Garhwal on dated 30/06/2021 time
at Tehri in which application claiming rights in Tehri area measuring
4.69 hect for the construction of Honorable Chief minister announcement No.
Chirmuna
305/2014 land transfer proposal for construction of motor road from Shivpure
to Jajal (Dooble lane) in legislative assembly N.Nagar forest land under FRA.
to Jajal (Dooble lane) in legislative assembly N.Nagar forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub
to Jajal (Dooble lane) in legislative assembly N.Nagar forest land under FRA.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;	
Dated:	\bigvee
	Deputy Commissioner-cum-Chairman
	District beyel Committe

टिहरी गढ़वाल।

Encl.-01

It is Further certified that- Minutes of Meeting of Construction of Shivpuri Jajal Dabul Lane Motor Road Motor Road (Length 7.25 Km) regarding FRA is as following:-

S.N.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.69 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII).	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य टिहरी गढवाल सम्प्रज केल्याण अधिकारी टिहरी गढ़वाल

म्द्रनगर वन प्रभाग नमुनिकीरैती

श्रीमती सरिता रीतेला

सदस्य ना पंजायन

वार्ड नं0-42 जयकोट (टि० म०)

ज जिलाधिकारी

नरेन्द्र नगर, टिहरी गहवाल

Us

(Full name and शिक्षा अध्यादी की District Collector)

प्रारुप (३०.२०)

आज दिनांक 15/10/2020 को राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की वैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	युक्ता मिश्र	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	- Frank
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	उप जिलाधिकारी न्द्र नगर्ग दिहरी घटवाल भी
3	श्री राहूल प्रताप	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी ,	1 (1 () 2020 ·
4	श्री	सदस्य बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत नरेन्द्रनगर	प्रिक समाप्रिकाराण अधिकार। 'नरूद्रनगर (विकित्स्वार)
	हरीश जोशी		हरीश जोशी सदस्य क्षेत्र पंचायत-रोव्देली-12 क्षेत्र खंगरत-रोव्देली-12

01/2/2000 TOW(a) राजाच उप निर्माणक क्षेत्र- फोग्राज नालील- जाजा

परियोजना का विवरणः— माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम – पसर तहसील–नरेन्द्रनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (मृद्धी) हे० आरक्षित वन भूमि, 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.35 हे० नापभूमि एवं मक डिस्पोजल 0.329 हे०) अर्थात कुल 4.69 हे० वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा पसर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जिला पंचापत सक्तिय दयाल सिंह राबत बदस्ब जिला पंचायत 43. मैतंण (नरेन्द्र नगर) जिला-टिहरी गढबाल

क्षेत्र पंचायत सदस्य

रावेश सिंह सदस्यं- क्षेत्र पंचायत शौडाडा वि0 ख0-नरेन्द्रनगर (टि9 ग0)

राजाचे उप निरीक्षक क्षेत्र- को गाँग गड़प्तील- गणा 01/2/2800 (ex)(Cy) ग्राम प्रधान



दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत— पसर

कमांक	ग्राम सभा में उपरिथत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
		N. T. T.
1	Devendry Singh.	D. John J. C.
2	TICAZ PAÉ	Meg the
3	-G-51 491	न्पन्त्र हैवी
4	्रियं साह	Chud RIE
5	संवित पार्ट	भारात सिंह
6	Dinesh Sigh	Drivaly
7	3/17/N This	Ail-Singh.
8	-year The	-47
9	: .	
10		

राजाय देव निर्माणक क्षेत्र- आंग्रज क्षातील- ग्राप्त

जिला प्रमुक्त सद्धीय	1
दयाले सिंह रावल	SW
4.5 Hollin Inch	b
जिला-टिहरी गढ़काल	k_
	Tinds

क्षेत्र पंचायत सदस्य

of law Pa

राबेश शिंह सबस्य - बेन्न पंचाबत ओडाडा बि0 थ0-गरेनागगर (टि0 ग0) ग्राम प्रधान



परियोजना का विवरण:— माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—305/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.25 कि0मी0)

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम – रौन्देली तहसील-नरेन्द्रनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु सामा हे० आरक्षित वन भूमि, 6-28 हे० सिविल सोयम भूमि, 6-385 हे० नापभूमि एवं मक डिस्पोजल 0.329 है0) अर्थात कुल 4.69 है0 वन भूमि का प्रस्ताव निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौन्देली द्वारा दिनांक......को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत फ्रिने हेतु विस्तुत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत 🤌 अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा रौन्देली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नरेन्द्रनगर को शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जेला पंचायत सदस्य

ती सरिता रौतेला वार्ड र्न0-42 जयकोट (दित ग0) क्षेत्र पंचायत सदस्य

विं0 ख0-नरेन्द्रनगर (टि० ग०)



दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत— रौन्देली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कीर् गराह सम्मना	3
.1	द्वीशताल सम्मना	Sprif
2	न्यू भी पतिह.	(M)
3	व-वनास्त्र	- Lu
4	- स्वाम पिष्ट	4914160
5	5 do WICTE	इम्मिटि
6	Panhaj Rana.	ay
7	Kunut Sing Rang	dowl
8	२००भा देवी	Exist
9	-सिद्धार्थ राजा।	Jal.
10	(60121 PGE	

श्रीमती सरिता रोतेला सदस्य जिला पंचायत वार्ड नं0-42 जयकोट (टि० न०)

जिला पंचायत सदस्य

W 765

क्षेत्र पंचायत.सदस्य हिण्डि जीशी सदस्य भेत्र पंचायत-रीन्देली-12 विश्व ख0-नरेन्द्रनगर (टि० ग०)



